न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–89/14 (आरसीएमएस नं. 2014/00021)

1. सीताराम पुत्र स्व. श्री विजय लाल शर्मा, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

2. सत्यनारायण पुत्र स्व. श्री विजय लाल शर्मा, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. श्रीमती मोहनी देवी पुत्री स्व. श्री विजयलाल शर्मा धर्मपत्नी श्री जगन, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम मुकन्दपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. श्रीमती रामेश्वरी देवी पुत्री स्व. श्री विजय लाल शर्मा धर्मपत्नी श्री राधाकिशन, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम बोहरा की ढाणी, शिवाणा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
5. श्रीमती संतोष पुत्री स्व. श्री विजय लाल शर्मा धर्मपत्नी श्री सूरजमल, जाति ब्राहाम्ण, निवासी मनोहरपुर के पास, खोकिया की ढाणी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 12.02.18

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार आमेर के आदेश दिनांक 25.02.2014 (प्रकरण संख्या 119/2013) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त पूर्व में जगदीश , सीताराम व सत्यनाराण पुत्रान विजय लाल की संयुक्त खोदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी, जगदीश का दिनांक 29.06.2002 को देहान्त हो जाने पर उसके 1/3 हिस्से की भूमि श्रीमती ग्यारसी देवी धर्मपत्नी स्व. श्री जगदशी के नाम दर्ज हुई, श्रीमती ग्यारसी देवी का स्वर्गवास हो जाने पर स्व. श्री विजय लाल के दोनों पुत्र अपीलार्थी सीताराम, प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सत्यनारायण उत्तराधिकारी हुये, अधीनसथ न्यायालय ने भूमि विवादग्रस्त पर अपीलार्थी, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 तथा प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 लगायत 5 के अधिकारों पर विचार किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैध हैं क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कभी स्व. श्री जगदीश अथवा श्रीमती ग्यारसी देवी ने गोद नही लिया ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पवन कुमार को श्रीमती ग्यारसी देवी का दत्तक पुत्र होना नही माना जा सकता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पवन कुमार ने श्रीमती ग्यारसी देवी के द्वारा उसके पक्ष में दिनांक 08.11.2011 जो वसीयतनामा होना जाहिर किया है वह पूर्णतः फर्जी दस्तावेज है, परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वसीयतनामे के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पवन कुमार के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.03.2013 को जो एफ.एस.एल की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें वसीयतनामे को फर्जी होना स्पष्ट किया गया, रेस्पोडेन्ट ने वसीयतनामे को साबित ही नही किया है परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वसीयतनामे के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पवन कुमार के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने न तो पक्षकारों की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में कोई जांच की और न ही भूमि विवादग्रस्त पर पक्षकारों के अधिकार व कब्जे के सम्बन्ध में कोई जांच की गई, श्रीमती ग्यारसी देवी ने स्वयं ने भूमि खसरा नम्बर 300 रकबा 0.52 हैक्टयर, खसरा नम्बर 301/506 रकबा 0.05 हैक्टयर व खसरा नम्बर 399 रकबा 0.37 हैक्टयर भूमि दिनांक 07.03.2011 के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा श्री नरेन्द्र चौधरी पुत्र श्री के.सी. चौधरी, जाति जैन, निवासी प्लॉट नम्बर आर–15 युधिष्ठर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर को विक्रय कर दी जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 178 दिनांक 26.12.2011 को उक्त क्रेता के नाम तस्दीक किया जाकर भू राजस्व अभिलेखों कें उसकी टिप्पणी अंकित की जा चुकी है इससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक विवेक लगाये बिना तथ्यों के विपरित अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत कर यह साबित किया है कि पवन कुमार न तो स्व. जगदीश का दत्तक पुत्र है और न ही कभी श्रीमती ग्यारसी देवी ने कोई वसीयतनामा उसके पक्ष में तहरीर किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन, साक्ष्य तथा जवाब प्रार्थना पत्र आदि पर किसी भी प्रकार का कोई विचार किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि यह विधि की सुस्थापित व्यवस्था है कि दत्तक ग्रहण एवं वसीयत आदि के आधार पर विरासत निर्धारित करने का भू–अभिलेख अधिकारी को काई क्षेत्राधिकार नही होता है, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान व राजस्थान उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट व्यवस्था दी है, विधि की सुस्थापित व्यवस्था के विपरित अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो वास्तविक निर्णय की परिभाषा में नही आता है और पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.02.2014 को निरस्त फरमाया जाकर श्रीमती ग्यारसी देवी की विरासत का

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नामान्तरकरण अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर अथवा अपीलार्थी एवं रेस्पोडेनट संख्या 2 लगायत 5 के पक्ष में बहिस्सा बराबर तस्दीक किये जाने के आदेश पारित फरमाये जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वास्तविक्ता में स्व. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एवं स्व. श्रीमती ग्यारसी देवी का दत्तक पुत्र है और इसी आधार पर उसके पक्ष में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। उन्होने कथन किया है कि मृतक श्रीमती ग्यारसी देवी द्वारा निष्पादित वसीयत तथा विरासत के आधार पर अपने विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने हेतु समस्त दस्तावेजों की छाया प्रतिलिपियों के साथ आवेदन प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने छाया प्रतिलिपियों की मूल दस्तावेजों से तुलना 'कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है तथा अपीलाधीन निर्णय में भी छाया प्रतिलिपि प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख है किन्तु अपीलान्ट द्वारा असत्य कथन करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उन्होने कथन किया है कि वास्तविकता में श्रीमती ग्यारसी देवी द्वारा तहरीर एवं तकमील किया गया वसीयतनामा दिनांक 08. 11.2011 एक वैधानिक दस्तावेज है जिसको वैधानिक रीति से जांच करने के पश्चात् सही एवं सत्य पाये जाने पर रेस्पोडेन्ट को मृतक खातेदार का वैधानिक वारिस एवं उत्तराधिकारी होना निर्णित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है इसलिये अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि मूल वसीयतनामा दिनांक 08.11.2011 रेस्पोडेन्ट के पास है, उक्त दस्तावेज श्रीमती ग्यारसी देवी के देहान्त के पश्चात् रेस्पोडेन्ट को उसके मामाजी द्वारा संभलाया गया था चूंकि अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट से अत्याधिक वैमनस्य रखते है तथा विवादित सम्पत्ति को हड़पने के लिय वे उक्त दस्तावेज का नष्ट कर सकते है इसी आशंका से रेस्पोडेन्ट ने छाया प्रति ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की किन्तु अधीनसथ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण के विचारण के दौरान तथा बहस के समय रेस्पोडेन्ट ने उक्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके उसका सत्यापन करवाया हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विस्तृत जांच करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2014 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त वसीयत को आदिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित नही किया गया है तथा वसीयत के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य वाद समक्ष न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें अभी निर्णय होना बाकी है। ऐसी स्थिति में वसीयत के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2014 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

आराजी की खातेदार स्व. श्रीमती ग्यारसी देवी द्वारा वसीयतनामा में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पवन कुमार को अपना दत्तक पुत्र कथन किया है तथा वादग्रस्त आराजी की वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में की गई है एवं अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया गया हो जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त वसीयत वर्तमान में प्रचलन में व प्रभावशील है तथा नामान्तरकरण की कार्यवाही तो एक फिस्कल कार्यवाही जिसमें किसी भी पक्षकार के हक, हकूक अधिकार तय नही होते है एवं वसीयत गलत है या सही इस तथ्य की जांच के अधिकार न्यायालय हाजा को नही है, इस सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है जिसमें निर्णय होना अभी बाकी है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेर द्वारा वसीयत के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2014 को अनुचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2014 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।